

**MOST URGENT**



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय, जयपुर



क्रमांक एफ 51(1)ग्रावि/नरेगा/राजस्थान सम्पर्क/शिकायत/2018-19/पार्ट-3

जयपुर दिनांक: 6 AUG 2020

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,  
समर्त राजस्थान।

विषय :- राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर नवीन पंचायत समिति/ग्राम पंचायतों की मैपिंग कराने वाले।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित शिकायत प्रकरणों के निरस्तारण हेतु जिले की समर्त नवीन पंचायत समिति/ग्राम पंचायतों की मैपिंग किया जाना आवश्यक है। परंतु कुछ जिलों द्वारा उक्तानुसार मैपिंग आदिनांक तक नहीं की गई है।

अतः जिला स्तर पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग से पदरक्षणित एनालिस्ट कम प्रोग्रामर/सूचना सहायक से सम्पर्क कर पोर्टल पर नवीन पंचायत समिति/ग्राम पंचायत की मैपिंग कराया जाना सुनिश्चित करावें। ताकि प्रकरणों का समयवद्ध निरस्तारण हो सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

भवदीय  
  
(पी.सी.किशन)  
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 2 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी समर्त राजस्थान।
- 3 अधिशापी अभियंता, महात्मा गांधी नरेगा, समर्त राजस्थान।
- 4 रक्षित पत्रावली।

परि० निदे० एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस